NAVYUG
SMART MINI CITY

new modern
BUILDWELL PVT. LTD.
— elevating lifestyles —

सीमित (अल्प एवं निम्न)
आय वर्ग हेतु किफायती आवासीय योजना

EWS & LIG FLATS

Branch Office: **Plot No.: "O" 3rd Floor, Elgin Road, Civil Line, Prayagraj, U.P.-211001**
Corporate Office: **819, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001**

न्यू मॉर्डन बिल्डवेल प्रा0लि0, वाजिदपुर, कानपुर रोड (एन0एच0–2) प्रयागराज में प्रस्तावित EWS/LIG के अन्तर्गत ''नवयुग अवनी'' ई.डब्ल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) एण्ड एल. आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के प्रार्थियों हेतु भवनों की योजना

विवरण पुस्तिका –

इस बुकिंग फार्म में वर्णित विषय वस्तु, नियम व शर्ते भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2018 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे जहॉ तक संशोधन करना समीचीन होगा और यदि आवश्यक हुआ तो भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों व प्रपत्रों को निष्पादित किया जायेगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगे।

1. योजना का विवरण

प्रस्तावित योजना – नवयुग अवनी
विकासकर्ता कम्पनी – न्यु मॉर्डन बिल्डवेल प्रा0 लि0

2. पंजीकरण हेतु पात्रता –

2.1 आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

2.2 आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासीय भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवंटन में वरीयता नहीं मिलेगी।

2.3 आवेदक अथवा उसके (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसका पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के किसी सदस्य का प्रयागराज विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहाकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

2.4 आवेदक को ई0डब्ल्यू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के फ्लैट हेतु रू0 3,00,000/– लाख तक एवं एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लैट हेतु रू0 3,00,001/– से रू0 6,00,000/– लाख तक की परिवार की वार्षिक आय (परिवार की आय का तात्पर्य पति व पत्नी की कुल आय से हैं) का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी प्रमाण पत्र फार्म के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.5 आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

3. भवनों का विवरण –

बिल्डिंग एवं फ्लैटों के डिज़ाईन में परिवर्तन हो सकता है।

फ्लैट के प्रकार	फ्लैटों की अनुमानित सख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया)	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू. लाख)	पंजीकरण धनराशि (रू. में)	चयन के पश्चात 30 दिन में देय धनराशि	अवशेष भुगतान
EWS	07	27.45	6,47,683/-	30,000/-	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10 % (पंजीकरण धनराशि हटाकर)	शेष धनराशि 36 माह में 12 तिमाही किश्तों में जमा करना होगा
LIG	30	47.94	17,40,222/-	60,000/-		

नोट –

1. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाइयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ट संख्या 12 से 13 पर दर्शाये मानचित्रों के साथ दी गयी हैं।
2. उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु फ्लैट के कुल मूल्य में कोई छूट देय नहीं होगी।
3. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त/किसी प्रकार का टैक्स यदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
4. आवंटन के पश्चात् धनराशि निर्धारित अवधि में देय धनराशि ई0डब्ल्यू0एस0 के आवंटी एवं एल0आई0जी0 के आवंटी द्वारा जमा न करने पर देय धनराशि पर क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा जो कि तत्समय प्रवर्तनशील भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम तथा विनियम के अनुसार देय होगा। फ्लैट के आवंटन हेतु केवल पति पत्नी अथवा एक ही परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य की संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। परन्तु इनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी। अन्य कोई संयुक्त स्वीकार्य नहीं होगी। शासनादेश संख्या 645/9–31–2–2001 दिनांक 08.03.2001 के अनुसार पति पत्नी के संयुक्त नाम से निबंधन किया जायेगा। एकल नाम से निबंधन हेतु शासनादेशनुसार निर्धारित पर्याप्त साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दें।
6. प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों में 27.45 व मीटर बिल्टअप एरिया है, भवन में एक लिविंग/बेडरूम हेतु कक्ष, टॉयलेट व किचन स्पेस है तथा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों में 47.94 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, व भवन के एक लिविंग रुम, एक बेडरूम, टॉयलेट व किचन स्पेस हैं।
7. कम्पनी द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।
8. आवंटी निर्माण की अवधि में आकर निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण कर सकते हैं।
9. भवन के मूल्य का Additional and PLC अतिरिक्त देय होगा।
10. उपरोक्त दरें वर्तमान CPWD की दरों पर आधारित हैं। यदि CPWD की तरफ से कोई Notification / Official Cost Index जारी किया जाता है तो तदानुसार यह दरें भी बढ़ जायेंगी और आवंटी उन्हीं बढ़ी दरों के आधार पर भुगतान को बाध्य होगा और इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
11. आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्री–होल्ड चार्जेज व अन्य व्यय का भुगतान भवन का निबन्धन/अनुबन्ध डीड कराने से पूर्व करना होगा। निबन्धन/अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित स्टैम्प पेपर आवंटी को स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
12. भवन का निबन्धन/अनुबन्ध रजिस्टर्ड होने के साथ ही आवंटी को भवन का कब्जा हस्तगत कर दिया जायेगा।
13. सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी द्वारा कोई भी निर्माण बिना विकासकर्ता के अनुमति के नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर आवंटन नियमानुसार कटौती करते हुए पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन का कब्जा विकासकर्ता द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
14. अंतिम आवंटन विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद होगा।

4. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में –

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन, सर्वप्रथम पति/पत्नी को एवं पति/पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

5. आरक्षण –

5.1 शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा।

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछाड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03

5.2 प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का प्रमाण पत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धिजनों के लिये उपलब्ध होगा। यह प्रकार यह आरक्षण होरीजोण्टल होगा।

5.4 विकलांगो को शासनादेश सं0–786/आठ–1–08–25 विविध/07 दिनांक 30.01.08 के अनुसार 03 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण (आवेदक जिस आरक्षण वर्ग का है उसी के अन्तर्गत आरक्षण) देय होगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

5.5 **07** (ई0डब्ल्यू0एस0) तथा 30 (एल0आई0जी0) फ्लैट का विवरण निम्न है

Floor No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
EWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	6	**7**
LIG	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	8	6	30

5.6 वृद्धजनों में तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

5.7 आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है तथा पंजीकरण फार्म के निर्धारित बाक्स में सही का निशान लगाना होगा।

5.8 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

5.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशार्न्तगत आने वाली जातियों से है।

5.10 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम–1994) अधिनियम संख्या–4 सन् 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट हैं। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

5.11 बिन्दु 5.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5.12 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधित आदेश/शासनादेश लागू होंगे।

5.13 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्ते यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जायेंगे।

6. आवंटन –

6.1 फ्लैटों (फ्लौर/यूनिट नं0) का आवंटन फ्लैट की उपलब्धता के आधार पर लाटरी के माध्यम से जन सामान्य के समक्ष किया जायेगा।

6.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

6.3 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी में नहीं आते है उनका प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।

6.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।

6.5 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.6 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करें।

6.7 आवंटन की तिथि से 5 वर्ष तक आवंटी द्वारा फ्लैट्स का अंतरण (विक्रय) प्रतिबंधित रहेगा।

7. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं असफल आवेदकों की जमा धनराशि की वापसी –

7.1 चयन की लाटरी के पश्चात् असफल एवं निरस्त आवेदन पत्रों के आवदकों को एक माह के अन्दर एकाउण्ट पेई चेक द्वारा धनराशि बिना ब्याज के बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का खाता अंकित करना होगा।

7.2 फ्लैट्स आवंटन के पश्चात यदि आवंटी द्वारा धनरशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात् पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जो कि तत्समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।

8. तथ्यों का छिपाना –

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्धन निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर लें। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

9. भुगतान –

आवंटीयों द्वारा सीलिंग कास्ट के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटी के पक्ष में विक्रय–विलेख के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

10. फ्लैट्स का कब्जा –

10.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त अनुबन्ध/निबन्ध निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।

10.2 अनुबन्ध/निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्ट्रैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

10.3 विकासकर्ता द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क देना होगा तत्पश्चात् अनुबन्ध/निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता को कम्पनी के अधिकृत अधिकारी का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. शुल्क/कर आदि की देयता –

विकासकर्ता कम्पनी, नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

12. अन्य सामान्य नियम व शर्तें –

12.1 आवंटन के पश्चात प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय–समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

12.2 आवेदन पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक का नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

12.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र जनपद प्रयागराज होगा।

13. पंजीकरण प्रक्रिया –

13.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक **02 December 2024** से **31 December 2024** तक किसी भी कार्य दिवस में 300/– भुगतान कर हमारे वेबसाइट www.newmodern.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

14. विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन–पत्र पूर्ण रूपेण भरें।

14.1 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ–पत्र के प्रारूप को रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुए आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

14.2 आवेदन–पत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि______________ होगी।

15. आवेदन–पत्र भरने के लिए अनुदेश –

15.1 आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

15.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है।

15.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किए गये आवेदन–पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए।

15.4 आवेदन–पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाइल नं0 एवं ई–मेल दिया जाना अनिवार्य होगा।

16. भुगतान पद्धति एवं छूट –

16.1 नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 30 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान)

16.2 स्ववित्त पोषित (36 माह में 12 तिमाही किश्तों में भुगतान)

17. जॉच सूची (Check List) –

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्य जाँच लें।

जाँच सूची (Check List)

1. आवेदन पत्र फोटो के साथ पूर्ण से भरा गया है? ☐
2. आवेदक की आय के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया है? ☐
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न है? ☐
4. शपथ पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्न है? ☐
5. आरक्षण प्रमाण पत्र व आयु प्रमाण पत्र संलग्न है। ☐
6. पैन कार्ड संलग्न है। यदि पैन कार्ड नहीं है तो फार्म 60 में घोषणा संलग्न करें। ☐

new modern
BUILDWELL PVT. LTD.
— elevating lifestyles —

new modern
NAVYUG
SMART MINI CITY

न्यू मॉडर्न बिल्डवेल प्रा0लि0

वाजिदपुर, कानपुर रोड (एन.एच.–2) प्रयागराज

FORM No.

सामान्य पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

EWS/LIG

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION

1. शहर का नाम .... कोड ☐☐☐ 2. योजना का नाम ☐ ☐ कोड ☐☐☐
   Town Name Scheme's Name EWS LIG
2. सम्पत्ति का प्रकार .... सम्पत्ति कोड ☐☐☐
   Type of Property Property Code
3. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु. ....
   Application's Name Sri/Smt/Km:
4. पिता/पति का नाम श्री ....
   Father/Hushand's Name
5. वार्षिक आय/Annual Income : .... अंको में (शब्दों में) ....
6. लिंग [M] [F] आयु ☐☐ जन्मतिथि ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
   (Sex) (√ टिक करें) Age Date of Birth तिथि माह वर्ष
7. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्नक करना आवश्यक है।) आरक्षण कोड ☐☐
   Reservation Category : ....
   (Attested Copy of Certificate to be Attached) होरिजोन्टल कोड ☐☐
8. पत्राचार व्यवहार का पता हिन्दी में ....
   ....
   ....
   Correspondence Address (in English)
9. फोन नं./मोबाइल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐
   ई–मेल ....
10. स्थायी पता (हिन्दी में) ....
    ....
    ....
    Permanent Address (in English)
    फोन नं./मोबाइल नं. (यदि कोई हो) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ Pin Code:
11. पंजीकरण धनराशि (अंको में) रू. ☐☐☐☐☐☐ शब्दों में ....
    Registration Amount (In Figures) Rs.

new modern
BUILDWELL PVT. LTD.
— elevating lifestyles —

new modern
NAVYUG
SMART MINI CITY

12. बैंक ड्राफ्ट नं./पे आर्डर नं./दिनांक/ बैंक का नाम तथा शाखा
Bank Draft No./Pay Order No. Date: ___________ Bank Name & Branch : _________________

13. भुगतान विकल्प कोड नकट ☐ किश्त ☐
(√ टिक करें)

14. भवनों हेतु चयनित न होने की दशा में पंजीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि को रिफण्ड हेतु बैंक का नाम व खाता संख्या का अवश्य उल्ले करें।
आवेदक का बैंक खाता संख्या (कम्प्यूटराइज्ड)
बैंक व शाखा का नाम ....
(A) आईएफएससी कोड (IFSC Code) (B) एमआईसीआर (माईकर) MICR

15. क्या आपके पास प्रयागराज में कोई सम्पत्ति है? या क्या आपको इ0वि0प्रा0 ने कोई सम्पत्ति आरक्षित/आवंटित की है? यदि हाँ तो कृपया विवरण दें।

16. मैं .... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे/मेरी .... हैं को मैं इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

16. संलग्न दस्तावेजों की सूची (LIst of Enclosed Documents) ....
1. 2. 3. 4.

घोषणा / Declaration

1. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने **नवयुग अवनी, वाजिदपुर, कानपुर रोड (एन0एच0 2), प्रयागराज** की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है, एवं मैं/हम उनका पालन करेंगे।
(I/We declare that I/We have read the rules of the New Modern Buildwell Pvt Ltd, Wajidpur, Kanpur Road (NH 2), Prayagraj regarding the above Scheme and shall abide by them.)
2. यदि मैं/हम बिक्री के लिए फ्लैट का आवंटन स्वीकार नही करता हूं/करते है तब मैं/हम विकासकर्ता कम्पनी द्वारा नियमों के अधीन की गयी कटौतियों को स्वीकार करूंगा/करेंगे।
(If I/We do not accept the allotment of the flat/plot ofr sale, then I/We shall accept the deduction made by cmpany under the rules.)
3. विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटित किया गया फ्लैट/मुझे/हमें प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा तथा मुझे/हमें इन पर किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
(That flat allotted to me by company shall be acceptable to me under any circumstances, and I/we shall have no objection or dispute of any kind)

Place : .... **आवेदक (को) के हस्ताक्षर**
Date : .... Signature of the Applicant(s)

नमूना हस्ताक्षर / SPECIMEN SIGNATURE (S)

Name ....
(Sole or First Applicant) / (एकल अथवा प्रथम आवेदक)

Signature 1 ______________________ Signature 2 __________________
हस्ताक्षर 1 ______________________ हस्ताक्षर 2 __________________

निर्देष/Instructions:

1. कृपया आवेदन पत्र अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में ही भरें, चूंकि ये फार्म कम्प्यूटर द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। यदि आपने फार्म हिन्दी में भरा तो उसका अनुवाद करते समय हुये भूल के लिए विकासकर्ता कम्पनी जिम्मेदार नही होगी। (As the details given in application form shall be transferred in computer, please fill the application form in capital of English. Company shall not be responsible for the mistakes of translation if the form is filled in Hindi.)
2. आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों का कष्ट करें। इससे आपके संलग्नक फार्म से अलग नहीं होंगे। (Please paste all the enclosure in the application form so that they do not get detached.)

उत्तर प्रदेश सरकार की दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के भवनों की नीति के अन्तर्गत न्यु मार्डन बिल्डवेल, प्रयागराज में निर्माणाधीन आवासीय फ्लैटों की योजना का पंजीकरण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

विवरण

फ्लैट के प्रकार	फ्लैटों की अनुमानित सख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया)	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू. लाख)	पंजीकरण धनराशि (रू. में)	चयन के पश्चात 30 दिन में देय धनराशि	अवशेष भुगतान
EWS	**07**	**27.45**	**6,47,683/-**	30,000/-	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10 % (पंजीकरण धनराशि हटाकर)	शेष धनराशि 36 माह में 12 तिमाही किश्तों में जमा करना होगा
LIG	**30**	**47.94**	**17,40,222/-**	60,000/-		

पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू0 300.00 (जी0एस0टी0 सहित) भुगतान कर निर्धारित पंजीकरण अवधि के अन्दर हमारे वेबसाइट (www.newmodern.in) पर प्राप्त किया जा सकता है।

पंजीकरण हेतु पात्रता – विवरण पुस्तिका में दिये गये क्रम संख्या–3 के अनुसार एवं पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा। प्राप्त पंजीकरणों के आधार पर फ्लैटों का आवंटन गठित आवंटन समिति द्वारा नियत स्थान, समय व तिथि पर किया जायेगा। लाटरी की कार्यवाही में पंजीकृत आवेदक भी भाग ले सकते है। लाटरी तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से समय सूचित किया जायेगा, जिसमें लाटरी की तिथि, समय व स्थान की जानकारी प्राप्त किया जा सकेगा। आवंटन के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रू0 10/– के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक–1)	पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक–1)

मैं/हम .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .... आयु .... वर्ष, निवासी .... शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूं/करते है कि –

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूं/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों) के पास प्रयागराज नगर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं हैं। यदि यह घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित फ्लैट निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत फ्लैट के मूल्य के बराबर धनराशि भू–राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर लें।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित फ्लैट के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों, से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त होता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य है।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है, वह कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

शपथी

Specifications for EWS & LIG Housing

1. **Structure**
   - **(a) Ground plus three**
     - Steeped footing in brick masonry for sub-structure
     - Block work for wall masonry.
     - RCC lintel band and roof level band for earthquake resistance.
   - **(b) Above Ground**
     - RCC framed structure
2. **Flooring**
   - **Room:** 300x300mm Glazed Ceramic tile floor.
   - **Kitchen:** 300x300mm Glazed Ceramic tile floor.
   - **Bath-room:** 300x300mm Glazed Ceramic tile floor.
   - **W.C.:** 300x300mm Glazed Ceramic tile floor.
   - **Lobby Area:** 300x300mm Glazed Ceramic tile floor.
   - **Staircase:** Kota Stone
3. **Doors, Windows & Ventilators**
   - **Main Doors:** For main entrance 35mm thick flush door with 35x35x5 MS angel Iron frame along with 2 Nos. tower bolts of length 6” as suitable with 2 Nos. handles and 1 No.8” MS aldrop.
   - **Internal Doors:** For Internal doors, flush door with 35x35x5 MS angel Iron frame along with 1 no. of 6” aldrop and tower bolt with 2 no. handles.
   - **Toilet Door:** Flush door panels with angle Iron frame along with 2 Nos. tower bolts and 2 Nos. handles.
   - **Windows:** All windows will be T & Z section with lock handle and hook latch.
4. **Painting**
   - **Inside the unit for wall and ceiling:** Two coat white wash for ceiling and two coat colour wash for walls.
   - **Outside:** Two Coat of cement based colour paint for walls.
   - **Door and Windows frame:** Door, window frame should be with one coat primer with enamel paint.
5. **Dado**
   - For Toilet 450mm dado cement punning.
   - For kitchen 150mm dado with cement punning.
   - W.C. 450 mm High dado in cement punning.
6. **Plumbing & Sanitary**
   - WC: Indian type of 18” chinaware
   - Two number 0.5” PVC tap of good quality in the toilet.
   - One number 0.5” PVC tap of good Quality in the kitchen.
   - Soil line, waste water line should be of 4” dia PVC pipe of 4 Kg/Sq. Cm. pressure.
   - 4” dia PVC nahani trap with jalli one in toilet & one in kitchen.
   - Heavy duty PVC solvent pipe for all water line.
7. **Electrification**
   - One number fan-hook and conduit pipe sin slab.
8. **Kitchen**
   - Platform of size 450x1000mm Kota Stone top to be provided in the kitchen.

Note: Above specifications are Indicative.

UNITS PLAN

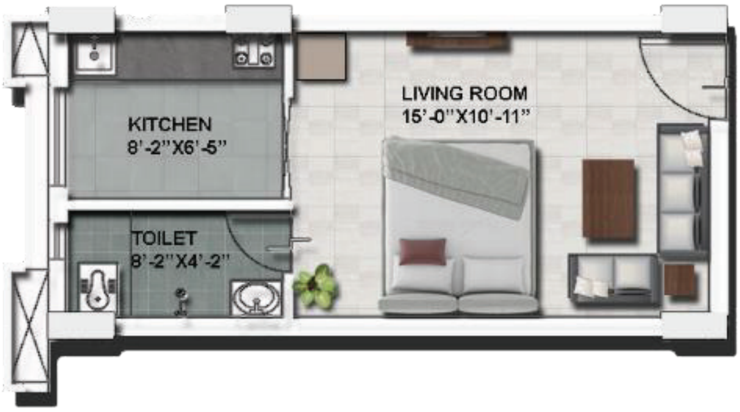

EWS UNIT

CARPET AREA - 265.44 SQ.FT.
SUPER AREA - 315.33 SQ.FT.
BUILT UP AREA - 295.45 SQ.FT.

LIG UNIT

CARPET AREA - 435.13 SQ.FT.
SUPER AREA - 544.75 SQ.FT.
BUILT UP AREA - 515.98 SQ.FT.

Disclaimer - This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters / architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.

FLOOR PLAN

SITE PLAN

LOCATION MAP